



भारतीय रिज़र्व बैंक/ Reserve Bank of India
संचार विभाग/ Department of Communication

“सारेगामापा मराठी - 2026” के दौरान जन-जागरूकता अभियानों के अंतर्गत टीवी स्पॉट जारी करना

संचार विभाग (डीओसी) “सारेगामापा मराठी - 2026” के दौरान Zee मराठी और Zee5 (ओटीटी प्लेटफार्म) पर टीवी स्पॉट जारी करने हेतु जन-जागरूकता अभियान (पीएसी) के लिए सूचीबद्ध विज्ञापन एजेंसियों से वित्तीय बोलियाँ आमंत्रित करता है।

2. प्रस्तावित योजना का विवरण निम्नानुसार है:

क. टीवी:

Sl. No	Property Branding	Channel	Days	Time band	No.of episodes	FCT per episode	Total FCT
1	SRGMP Marathi	Zee Marathi – SD – Original	Sat-Sun	21.30 – 23.00	19	90	1710
2	SRGMP Marathi	Zee Marathi – HD - Original	Sat-Sun	21.30 – 23.00	19	90	1710
3	SRGMP Marathi	Zee Marathi – SD – Repeat	Sat-Sun	16.00 – 17.30	19	90	1710
4	SRGMP Marathi	Zee Marathi – HD - Repeat	Sat-Sun	16.00 – 17.30	19	90	1710
5	SRGMP Marathi – Grande Finale	Zee Marathi – SD – Original	Sun – 7 th Dec	21.00 – 24.00	1	240	240
6	SRGMP Marathi – Grande Finale	Zee Marathi – HD - Original	Sun – 7 th Dec	21.00 – 24.00	1	240	240
7	SRGMP Marathi – Grande Finale	Zee Marathi – SD – Repeat	Sun	15.00 – 18.00 (TBC)	1	240	240
8	SRGMP Marathi – Grande Finale	Zee Marathi – HD - Repeat	Sun	15.00 – 18.00 (TBC)	1	240	240
9	Sanai Chaughade	Zee Marathi - SD	Mon-Sun	21.30 – 23.00	58	30	1740
10	Sanai Chaughade	Zee Marathi - HD	Mon - Sun	21.30 – 23.00	58	30	1740
11	Taarini	Zee Marathi - SD	Mon -Fri	21.30 – 23.00	58	30	1740
12	Taarini	Zee Marathi - HD	Mon -Fri	21.30 – 23.00	58	30	1740
Grand Total						1440	14760

**सारेगमप मराठी- 2026 के दौरान जन-जागरूकता अभियान****अतिरिक्त सुविधाएं:**

- क. Zee मराठी एसडी और एचडी चैनलों में 19 एपिसोड में प्रत्येक एपिसोड में एक 'आरबीआई टिप ऑफ द डे'।
- ख. Zee मराठी एसडी और एचडी चैनलों में 19 एपिसोड में प्रत्येक एपिसोड में एक 'अस्टन बैंड्स' जो आरबीआई के संदेश प्रदर्शित करेंगे।
- ग. Zee मराठी एसडी और एचडी चैनलों में प्रत्येक एपिसोड में दो बार 'स्पॉन्सर कॉल आउट' के लिए एंकर उल्लेख, कुल 38 एकीकरण।
- घ. Zee मराठी एसडी और एचडी चैनलों में एक एपिसोड में आरबीआई 'सचेत रहो एंथम' एकीकरण।
- ङ. Zee मराठी एसडी और एचडी चैनलों में ग्रैंड फाइनल एपिसोड के दौरान एक एकीकरण।
- च. लोकप्रिय फिक्शन शो 'सनई चौगड़े' और 'तारिनी' में 6 एपिसोड में अतिरिक्त शो इंटीग्रेशन, Zee मराठी एसडी और एचडी चैनलों में।

ख. डिजिटल:

Deliverables			
Element	Classification	Property	Estd. Impressions
Video inventory on the sponsored show	Mobile and Web	AVOD Video inventory on sponsored show (30 secs)	1 Mn
	CTV	AVOD Video inventory on sponsored show (30 secs)	1 Mn
Video inventory on AVOD content on Zee5 App	Mobile and Web	Inventory on other Top AVOD shows in same language (30 secs)	20 Mn
Video inventory on AVOD content on Zee5 App	CTV	Inventory on other Top AVOD shows in same language (30 secs)	7 Mn
Total impressions			29 Mn

अतिरिक्त सुविधाएं:

- Zee मराठी आधिकारिक इंस्टाग्राम चैनल पर 20 पोस्ट।
- Zee मराठी आधिकारिक फेसबुक चैनल पर 20 पोस्ट।
- Zee मराठी सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया प्रचार के लिए 20 ब्रांड हैशटैग।
- Zee मराठी सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया प्रचार के लिए 20 ब्रांड टैग।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

निविदा आरंभ होने तिथि: बुधवार, 30 सितंबर 2026 को 1130 बजे

बोली आरंभ होने तिथि: बुधवार, 30 सितंबर 2026 को 1130 बजे

बोली बंद होने तिथि: सोमवार, 05 अक्टूबर 2026 को 1200 बजे



सारेगमप मराठी- 2026 के दौरान जन-जागरूकता अभियान

बोली खोलने की तिथि और समय: मंगलवार, 06 अक्तूबर 2026 को 1200 बजे

नियम और शर्तें

कृपया ध्यान दें कि कोई भौतिक बोलियाँ स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी बोलियाँ केवल इवेंट संख्या (2026_RBI_292737_1) के सापेक्ष सीपीपी पोर्टल (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) के माध्यम से प्रस्तुत की जाए।

एजेंसी को एल1 (निवल मीडिया लागत, एजेंसी कमीशन और लागू करें सहित) के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तथा योजना के लिए अनिवार्यतः और निविदा दस्तावेज़ में दिए गए प्रारूप में बोली लगानी चाहिए। भाग लेने वाली एजेंसियों को ई-निविदा में निवल मीडिया लागत, एजेंसी कमीशन और लागू करें को अलग से जमा करना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर एजेंसी की बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

एक बार एक विज्ञापन एजेंसी को शॉर्टलिस्ट करने के बाद, एजेंसी को बिना विफलता के अनिवार्यतः कार्य पूरा करना होगा। शॉर्टलिस्ट की गई एजेंसी को निविदा दस्तावेज़ में दी गई योजना के अनुसार सख्ती से स्पॉट जारी करना होगा। ऐसा नहीं करने पर दोषी एजेंसी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

सफल बोली लगाने वाले को कार्य आदेश राशि का 5% की बैंक गारंटी देनी होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक प्रस्तावित योजना में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में, आवश्यक परिवर्तनों / सुधारों के साथ सीपीपी पोर्टल (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) पर एक नई ई-निविदा अपलोड की जाएगी और एजेंसियों को पुनः बोली लगाने की आवश्यकता होगी।

टीडीएस और जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस की कटौती लागू दर के अनुसार की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सत्यनिष्ठा समझौते के अंतर्गत स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (जिसे आगे मॉनिटर कहा जाएगा) नियुक्त किया है। श्री नागेश्वर राव कोरिपल्ली, सेवानिवृत्त आईआरएस, 38, द ट्रेल्स, मणिकोंडा, आर.आर. जिला, हैदराबाद-500089 और श्री प्रमोद श्रीपाद फलनीकर, सेवानिवृत्त आईपीएस, ए-2,602 फेज-I, आदित्य शगुन, सीएचएस, एनडीए- पाषाण रोड, बावधन, पुणे, महाराष्ट्र-411021।

स्वतंत्र मॉनिटर के ईमेल इस प्रकार हैं:

knageshwarrao@gmail.com

pramodphalnikar@gmail.com

स्पष्टीकरण, यदि कोई आवश्यक हो, तो इस इसे ईमेल के माध्यम से harithad@rbi.org.in या darshann@rbi.org.in पर भेजे जा सकते हैं।

विज्ञापन एजेंसियों को बैंक के सभी दस्तावेजों, सूचना, डेटा और उसके साथ संचार को विशेषाधिकार प्राप्त और गोपनीय मानना चाहिए।



सारेगमप मराठी- 2026 के दौरान जन-जागरूकता अभियान

सूचीबद्ध विज्ञापन एजेंसियां, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बैंक द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किए गए किसी भी विनिर्देश, योजना, नमूना या जानकारी या डेटा या ड्राइंग / डिजाइन को एजेंसी द्वारा कार्य के निष्पादन हेतु नियोजित व्यक्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति को प्रकट नहीं करेंगी।

एजेंसी द्वारा नियोजित ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रकटीकरण अत्यंत विश्वास में किया जाएगा और इस तरह के कार्य-निष्पादन के उद्देश्य के लिए आवश्यक और प्रासंगिक होने पर ही प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।

कृपया निविदा में भाग लेने के संबंध में पुष्टि दें। यदि हमें उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि एजेंसी निविदा में भाग लेने में रुचि नहीं रखती है। ऐसी स्थिति में, भारतीय रिज़र्व बैंक, भाग नहीं लेने वाली एजेंसियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए विवश होगा।

ई-निविदा (सीपीपीपी पोर्टल) के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का एक ई-खरीद प्रक्रिया कार्यक्रम है। केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) <https://etenders.gov.in/eprocure/app> ई-खरीद सेवा प्रदाता / कॉन्ट्रैक्टर है

ई-टेंडर की प्रक्रिया: बोलीदाता मैनुअल किट होम पेज पर उपलब्ध है।

ए) नए बोलीदाता के लिए पंजीकरण: इस प्रक्रिया में सीपीपीपी पोर्टल के साथ वेंडर का पंजीकरण शामिल है, जो निःशुल्क है। <https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&s>

तकनीकी संबंधी किसी भी प्रश्नों के लिए कृपया 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें

0120-4001 002

0120-4001 005

0120-4493395

अंतरराष्ट्रीय बोलीदाताओं से अनुरोध है कि देश कोड के रूप में +91 जोड़ें

ईमेल सपोर्ट:

प्रकाशित निविदाओं से संबंधित किसी भी मामले या स्पष्टीकरण के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि उनके संबंधित निविदा आमंत्रित प्राधिकरण से संपर्क करें।

तकनीकी - support-eproc@nic.in

नीति संबंधी - cppp-doe@nic.in